

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2021—ज्येष्ठ 21, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मार्च 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. द्वारा विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री के. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन केवल संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

2. सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, जिला-दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है।
3. श्री राहुल देव, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है।
4. श्री रवि मित्तल, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ के पद पर पदस्थ करता है।
5. श्री आकाश छिकारा, भा.प्र.से. (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद के पद पर पदस्थ करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 मार्च 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कुमार लाल चौहान, भा.प्र.से. (2009), संयुक्त सचिव, वन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुए अपर आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री कुमार लाल चौहान, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 मार्च 2021

क्रमांक एफ 1-02/2021/दो-गृह/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-03-2021 जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा/राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों की नवीन पदस्थापना अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक की गई है। उक्त आदेश की तालिका के क्रमांक-11 पर अंकित सुश्री पारूल अग्रवाल, (रापुसे) की नवीन पदस्थापना लिपिकीय त्रुटिवश उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) रायपुर अंकित हो गया है।

अतः उक्त के स्थान पर नवीन पदस्थापना उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) बिलासपुर पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 मई 2021

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2021 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-57/गृह-सी/परीक्षा/2021.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त-2021 दिनांक 23 अगस्त, 2021 से दिनांक 28 अगस्त, 2021 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अम्बिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 23-08-2021

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1. पहला प्रश्न पत्र-दाण्डक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).		
3. विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).		
4. विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).		
5. पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
59. विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).		
सोमवार, दिनांक 23-08-2021		
6. दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.		
60. भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)		

मंगलवार, दिनांक 24-08-2021

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“बी”.	
11.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“सी”.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
मंगलवार, दिनांक 24-08-2021		
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

बुधवार, दिनांक 25-08-2021

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
बुधवार, दिनांक 25-08-2021		
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों साहित).	

गुरुवार, दिनांक 26-08-2021

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित),नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
गुरुवार, दिनांक 26-08-2021		दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
41.	लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
शुक्रवार, दिनांक 27-08-2021		
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
49.	प्रश्न पत्र द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
शुक्रवार, दिनांक 27-08-2021		
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
शनिवार, दिनांक 28-08-2021		
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.
3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे।

इन प्रमाण पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें। संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 24-07-2021 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2021

क्रमांक/19/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	करौली प.ह.नं. 06	1.639	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर. जिला-सरगुजा (छ.ग.).	करौली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2021

क्रमांक/20/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	दुन्दु प.ह.नं. 06	1.469	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर. जिला-सरगुजा (छ.ग.).	करौली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2021

क्रमांक/21/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	नवडीहा प.ह.नं. 07	1.163	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर. जिला-सरगुजा (छ.ग.).	करौली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2021

क्रमांक/22/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	सरईडीह प.ह.नं. 06	1.621	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर. जिला-सरगुजा (छ.ग.).	करौली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर
(1)
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मार्च 2021

क्रमांक/3597/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प.ह.नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.379 हेक्टेयर

360/1	0.020
360/2	0.012
360/3	0.012
370/1	0.040
370/2	0.040
370/3	0.040
370/4	0.040
591/8	0.024
591/10	0.016
603/1	0.182
603/3	0.283
603/4	0.073
603/6	0.150
603/5	0.040
603/8	0.040
603/9	0.040
603/10	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
603/11	0.049	608/5	0.101
603/12	0.004		
603/15	0.040	योग	30
604/3	0.081		4.379
604/1	0.182	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- साराडीह बैरोंज के निर्माण हेतु.	
604/2	0.101	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
608/1	0.627	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
608/3	0.461	यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
608/4	0.607		
608/6	0.385		
608/7	0.567		
608/2	0.073		

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2021

क्रमांक-एफ 02-04/स्था./2012/एक/802.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर में दिनांक 01-03-2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अधीन उपयुक्त पाये जाने पर श्री प्रणय कुमार वर्मा, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अवर सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स-Level-13 (वेतनमान-रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन-6600) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निम्नांकित शर्तों पर पदोन्नत किया जाता है :—

1. पदोन्नत अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर पदभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा.
2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs State of Chhattisgarh & another, WP(S) No. 9778/2019, Vishnu Prashanna Tiwari Vs State Of Chhattisgarh & another एवं WP(S) No.-3752/2020, Shesh NarayanYadav & 2 others Vs State of Chhattisgarh & 4 others में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगा.

नवा रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2021

क्रमांक-एफ 02-04/स्था./2012/एक/804.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर में दिनांक 01-03-2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अधीन उपयुक्त पाये जाने पर श्री पापाराव क्वाटा, सहायक ग्रेड-1, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अनुभाग अधिकारी

के पद पर वेतन मैट्रिक्स-Level-11 (वेतनमान-रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन-4800) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निम्नांकित शर्तों पर पदोन्नत किया जाता है :-

1. पदोन्नत अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर पदभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा.
2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs State of Chhattisgarh & another, WP(S) No. 9778/2019, Vishnu Prashanna Tiwari Vs State Of Chhattisgarh & another एवं WP(S) No.-3752/2020, Shesh NarayanYadav & 2 others Vs State of Chhattisgarh & 4 others में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगा.

रिमिजियुस एक्का,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्रमांक 61/दो-2-13/2017.— श्री योगेश पारीक, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-01-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्रमांक 62/दो-2-13/2017.— श्री योगेश पारीक, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-01-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.